24 नि/निग०/रीवा/2018/0332

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

Rs. 30/-

महेन्द्र कुमार त्रिपाठी पिता जगदीश प्रसाद त्रिपाठी उम्र 48 वर्ष, पेशा कृषि निवासी ग्राम पिपरहा तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0)

--------निगरानीकर्ता

अधि० श्री रामलला पटेल द्वारा पेश/09.1.18

बनाम

1. पवन कुमार त्रिपाठी पिता रामचेला ब्रा0 उम्र 63 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम पिपरहा तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0)
2. श्यामलाल पाण्डेय तनय कृष्णा पाण्डेय निवासी ग्राम क्योटी तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0)
3. चन्द्रकली पुत्री रोहिणी प्रसाद पति मनोज कुमार शुक्ला निवासी ग्राम सनेही तहसील अमरपाटन जिला–सतना (म0प्र0)
4. रामायण प्रसाद पिता अनुसुइया प्रसाद
5. रामकिशोर पिता अनुसुइया प्रसाद
6. कुमर किशोर पिता जगदीश प्रसाद
7. उपेन्द्र कुमार पिता जगदीश प्रसाद
8. देवेन्द्र कुमार पिता सुरसरी प्रसाद
9. मनोज कुमार पिता सुरसरी प्रसाद

सभी निवासी ग्राम पिपरहा तहसील सरिमौर, जिला–रीवा (म0प्र0)

------गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध नायब तहसीलदार तहसील सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0) के प्रकरण क्रं. 46अ6/16–17 आदेश दिनांक 06.01.2018

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता।

द्वारा अधिवक्ता

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त सार निम्न है :–

महेन्द्र त्रिपाठी

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निगगरानी/रीवा/2018/0332

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री रामलला पटेल उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार तहसील सिरमौर जिला रीवा प्रकरण क्रमांक 46/अ-6/16-17 में पारित आदेश दिनांक 06-01-18 के विरूद्ध म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में अनावेदक भूमि स्वामी है आपत्तिकर्ता एवं उसके पिता इस भूमि स्वामी दर्ज नहीं होने के कारण नायाब तहसीलदार द्वारा उनकी आपत्ति दिनांक 06/01/18 को निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और प्रकरण आवेदक के साक्ष्य हेतु दिनांक 16/01/18 पेशी नियत की गई थी। अत: उनका अंतिरिम आदेश दिनांक 06/01/18 उचित होने से स्थिर रखने योग्य है। 3- उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार तहसील सिरमौर जिला रीवा प्रकरण क्रमांक 46/अ-6/16-17 में पारित आदेश दिनांक 06-	

01-18 उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख के साथ भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य